

राजस्थान सरकार
सहकारिता विभाग

क्रमांक: प.4(5)सह/1991/पार्ट

जयपुर, दिनांक: 29.05.2017

अधिसूचना

JRIR

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 (1958 के अधिनियम संख्या-28) की धारा-3 की उप धारा (2) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक प. 4(5) सह/1991 दिनांक 03.05.2012 में दिये गये बिन्दु संख्या 4 के पश्चात बिन्दु संख्या 5 निम्नानुसार प्रविष्ट करती है:-

30 MAY 2017

5- राजकीय विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति (SMC) और विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति (SDMC) का पंजीयन शुल्क ₹ 250/-

राज्यपाल की आज्ञा से,

277
5-6-17

sd

(सुखवीर सैनी)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर।
7. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित भेजकर लेख है कि इसे साधारण राजस्थान राज-पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुए एक प्रति इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
8. गार्ड फ़ाइल।

संयुक्त शासन सचिव

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : फा. सवि/राजि./मिस./2/59 पार्ट-5

दिनांक : 07-06-2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को उनकी अधिसूचना क्रमांक: प. 4(5)सह/1991/पार्ट दिनांक 29.05.17 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, समस्त खण्ड
3. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, समस्त / रजिस्ट्रार, संक्षेप -
4. क्षेत्रीय अंकेक्षक/विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियाँ, समस्त।
5. प्रचार अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- 6- गार्ड फ़ाइल।

(लीला पुरुषोत्तम)

संयुक्त रजिस्ट्रार (नियम)